FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0060 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/03/2026 12:13 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 03/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/03/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/03/2026 12:13:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 165 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** MUKHYA BLOCK SHIKSHA ADHIKARI, PANCHYAT SAMITI GADRA ROAD, JILA BARMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** JONI KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJENDRAPAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	I BLOCK 43, VALLABH GARDEN BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	I BLOCK 43, VALLABH GARDEN BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHANDRAVEER SINGH RAO		पिता:BHAIRU SINGH RAO	1. RANIGOAN,BARMER,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि दिनांक 30.10.2025 को वक्त 07.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकार्य हेतु बीकानेर कैम्प के दौरान मेरे मोबाईल नम्बर पर मोबाईल नम्बर एक कॉल आया, जिसने स्वंय का परिचय श्री जोनी कुमार पुत्र श्री राजेन्द्रपाल उम्र 32 साल जाति अग्रवाल निवासी आई ब्लॉक 43, वल्लभ गार्डन बीकानेर हाल अध्यापक रा0उ0प्रा0वि दुधौड़ा ब्लॉक गडरा रोड जिला बाड़मेर के रूप में दिया व बताया कि " दिनांक 26.10.2025 को मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने से दो दिन आकस्मिक अवकाश हेतु बीकानेर गया था। अवकाश की सूचना मेरे द्वारा वाट्सएप्प मैसेज से ग्रुप में डाली गई थी दिनांक 27.10.2025 को श्री चन्द्रवीरसिंह राव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरा रोड द्वारा मेरी उक्त स्कुल का औचक निरीक्षण किया जाकर मेरी अनुपस्थिति दर्ज कर दी गई। दिनांक 30.10.2025 को श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पंचायत समिति गडरा रोड द्वारा जरिये नोटिस क्रमांक 1119 दिनांक 30.10.2025 से मेरा स्पष्टीकरण चाहा गया जिस पर मैने दिनांक 30.10.2025 को वक्त 04.02 पीएम पर उक्त श्री चन्द्रसिंह राव एसीबीईओ के मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो एसीबीईओ द्वारा मेरे स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर पर अपनी अनुशंषा कर स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर सीबीईओ को अग्रेषित करने की एवज में 5000 रूपये लेकर मिलने हेतु कहा है। इस बाबत मैंने एसीबी राजस्थान के हैल्प लाईन नं. 1064 पर कॉल कर एसीबीईओ की शिकायत की तो वहां से आपके नम्बर मिले एंव सम्पर्क करने का कहने पर मैंने आपको कॉल किया हैं। मै एसीबीईओ के विरूद् कार्यवाही करवाना चाहता हु। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त श्री जोनी कुमार को बताया कि आज मै राजकार्य से बीकानेर आया हुआ हु, तथा कल दिनांक 31.10.2025 को राजकार्य हेतु जोधपुर रहुगा। आप दिनांक 01.11.2025 को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र लेकर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जैसलमेर पर उपस्थित आवे। जिस पर परिवादी श्री जोनी कुमार ने दिनांक 01.11.2025 को जैसलमेर आने में असमर्थता जाहिर की गई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जोनी कुमार को एक प्रार्थना पत्र लिख कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप्प करने तथा मूल प्रार्थना पत्र को आईन्दा अपने साथ लेकर एसीबी कार्यालय जैसलमेर पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 31.10.2025 समय 09.38 ए.एम. को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के राजकार्य हेतु जोधपुर कैम्प के दौरान मैने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी को बताया कि आज मै राजकार्य हेतु जोधपुर हु। परिवादी श्री जोनी कुमार को अपनी शिकायत मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर वाट्सएप्प करने हेतु निर्देशित किया जाने पर परिवादी श्री जोनी कुमार ने एक हस्त लिखित रिपोर्ट मय दस्तावेजात के मेरे मोबाईल पर वाट्सएप्प किये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा वाट्सएप्प की गई रिपोर्ट मय दस्तावेज के अवलोकन एवं दरियाफ्त से संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से एसीबीईओ द्वारा परिवादी के स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर पर अपनी अनुशंषा कर स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर सीबीईओ को अग्रेषित करने की एवज में 5000 रूपये की मांग करने से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर आईन्दा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 02.11.2025 को वक्त 06.26 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के जोधपुर कैम्प के दौरान मेरे मोबाईल फोन पर परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर से कॉल आया जिस पर परिवादी को श्री शिवप्रताप कानि के मोबाईल नम्बर दिये जाकर परिवादी को हिदायत की गई कि दिनांक 03.11.2025 को श्री शिवप्रताप कानि मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के गडरा रोड पर आप से सम्पर्क करेगे। आप दिनांक 03.11.2025 को गडरा रोड पर उपस्थित मिलना, साथ ही हिदायत की गई कि आप मूल प्रार्थना पत्र बन्द लिफाफे में श्री शिवप्रताप कानि को सुपुर्द कर, संदिग्ध आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री शिवप्रताप कानि को सूपुर्द करे। दिनांक 02.11.2025 को समय 06.28 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जोधपुर कैम्प के दौरान अपने मोबाईल फोन से श्री शिवप्रताप कानि 541 के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर दिये जाकर हिदायत की गई कि आप दिनांक 03.11.2025 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर, गडरा रोड पहुच परिवादी से सम्पर्क कर बन्द लिफाफे में मूल रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी को सूपुर्द कर संदिग्ध आरोपी

तथा परिवादी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर कार्यालय में उपस्थित आवे। दिनांक 03.11.2025 से दिनांक 04.11.2025 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध संख्या 174/2015 विरूद् श्री सज्जनसिह में अन्तिम प्रतिवेदन माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने तथा अपराध संख्या 244/2008 सरकार बनाम बुद्वराम एवं अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर तथा अन्य राजकार्य में गया हुआ था। दिनांक 03.11.2025 को समय 06.05 पीएम पर श्री शिवप्रताप कानि 541 ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन पर बताया कि मै आज वक्त 08.00 एएम पर मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा से प्राप्त कर गडरा रोड के लिए रवाना हुआ, एवं शिव पहुच कर परिवादी से जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी श्री जोनी कुमार ने बताया कि आप जानसिह बैरी पहुचे, मै आपको वहॉ मिलुगा, जिस पर मै शिव से रवाना होकर लगभग 4 बजे जानसिंह बैरी पहुचा एवं परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिला। ताबाद मै परिवादी श्री जोनी कुमार के साथ वहॉ से रवाना होकर गडरा रोड 5.00 पीएम पर पहुचे। श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री जोनी कुमार ने एक बन्द लिफाफा मुझ कानि को सुपुर्द किया जिसको मैने अपने पास सुरक्षित रखा एवं मन् कानि ने परिवादी को जोनी कुमार को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को आपरेट करना बताया जाकर उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू किया जाकर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति गडरा रोड के कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात परिवादी जोनी कुमार मन् कानि के पास उपस्थित आया जिससे कार्यालय डिजीटल वाईस रिकार्डर मुझ कानि को सुपुर्द किया जिस पर मन् कानि द्वारा उक्त रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर अपने पास ही सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझ कानि को बताया कि मेरी व श्री चन्द्रवीरसिह राव एसीबीईओ के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। श्री चन्द्रवीरसिह राव द्वारा मेरे स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर पर अपनी अनुशंषा कर स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर सीबीईओ को अग्रेषित करने की एवज में पहले तो 5000 रूपये रिश्वत की मांग की गई जिस पर मेरे द्वारा कुछ कम करने हेतु विनती करने पर 3500 रूपये मांगे जिस पर मेरे द्वारा श्री न्द्रवीरसिह राव से और कुछ कम करने का निवेदन करने पर उनके द्वारा 3000 रूपये की मांग की गई है। साथ ही श्री शिवप्रताप कानि ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि इस समय गडरा रोड से जैसलमेर के लिए कोई साधन नही है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शिवप्रताप कानि को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एवं बन्द लिफाफे को अपने पास सुरक्षित रखते हुए रात्री विश्राम परिवादी श्री जोनी कुमार के पास गांव जानसिंह की बैरी पर करने की हिदायत की गई। दिनांक 04.11.2025 को परिवादी को जानसिह की बैरी पर ही रूकसत करते हुए प्रथम बस से मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एवं बन्द लिफाफे को लेकर कार्यालय उपस्थित होकर डिजीटल वाईस रिकार्डर कार्यालय में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शिवप्रताप कानि के फोन से ही परिवादी श्री जोनी कुमार से वार्ता कर परिवादी को निर्देशित किया गया कि आप दिनांक 05.11.2025 को वक्त 12.30 पीएम तक कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो जैसलमेर उपस्थित आवे, तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरती जावे। दिनांक 05.11.2025 को वक्त 12.45 पीएम पर श्री शिवप्रताप कानि 541 द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ सुदा हालात मे एवं बन्द लिफाफा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार दिनांक 03.11.2025 को गडरा रोड से परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना होकर जानसिह की बैरी पहुच परिवादी श्री जोनी कुमार के साथ रात्री विश्राम किया गया। दिनांक 04.11.2025 को परिवादी श्री जोनी कुमार को वही रूकसत कर गांव जानसिंह की बैरी से रवाना होकर वक्त 11 एएम कार्यालय में उपस्थित हो गया था, तथा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में एवं बन्द लिफाफा कार्यालय में अलमारी में सुरक्षितं रखा जाकर अलमारी की चाबी मन् कानि के पास सुरक्षित रखी गई थी, जो आपको सुपुर्द किया है। साथ ही कानि ने उपरोक्त फिकरा में वर्णित तथ्य बताये गये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्रवीरसिह राव एसीबीईओ द्वारा परिवादी श्री जोनी कुमार के स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर पर अपनी अनुशंषा कर स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर सीबीईओ को अग्रेषित करने की एवज में परिवादी से आरोपी द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग करना, जिस पर परिवादी द्वारा कुछ कम करने की विनती करने पर 3500 रूपये रिश्वत की मांग करना जिस पर परिवादी द्वारा पुनः आरोपी से और कुछ कम करने का निवेदन करने पर आरोपी द्वारा परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत की मांग करने की मांगने की पुष्टि हुई है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आईन्दा परिवादी के कार्यालय पर उपस्थित आने पर उक्त रिकार्डिंग की ट्रांन्सस्क्रिप्ट बनाने व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शिवप्रताप कानि द्वारा पेश किये गये बन्द लिफाफा को खोलकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा पुर्व में दिनांक 31.10.2025 को मेरे मोबाईल पर जरिये वाटसएप्प प्रेषित की गई रिपोर्ट के मुताबिक अक्षरशः रिपोर्ट मय दस्तावेज हुबहु पाई गई। वक्त 1.00 पी.एम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री जोनी कुमार कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी श्री चन्द्रवीरसिंह राव एसीबीईओ को रिश्वत में दी जाने वाली राषि 3000 रूपये साथ लेकर आया हु,

साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि श्री चन्द्रवीरयिह अतिरिक्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी बहुत ही शातिर प्रवृति का होकर सर्तक रहता हैं, मैने दिनांक 03.11.2025 को वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान श्री चन्द्रवीरसिंह राव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरारोड से उनके कार्यालय में पहुच कर मेरे स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर पर मेरे पक्ष में अनुशंषा कर अग्रेषित करने के संबंध मे वार्ता की तो उसी दौरान श्री चन्द्रवीरसिह राव को मुझ पर किसी प्रकार का शक होने पर वह मेरे से 3000/- रुपये रिश्वत की मांग करने के पश्चात सम्भल कर वार्ता करने लग गया था। समय 01.15 पी.एम पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर के नाम पत्र क्रमाक 1918 दिनांक 05.11.2025 जारी कर श्री सम्पतलाल कानि0 230 को गवाहान लाने हेतु कार्यालय आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर की तरफ रवाना किया गया जो वक्त 2.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लेकर चौकी हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान को अपना परिचय देकर बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए गवाहान से परिचय पुछा गया तो उन्होने अपना - अपना परिचय क्रमशः श्री लोकेश पंवार कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर तथा श्री हंसराज सहायक अभियन्ता कार्यालय नगर परिषद जैसलमेर के रुप में दिया जिससे पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री जोनी कुमार को कार्यालय कक्ष में तलब कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा पेश लिखित प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया व पढने हेतु दी जाकर तथा आरोपी व परिवादी के मध्य हई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड है को चालू कर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य - मुख्य अंश सुनाये गये। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई, समय 02.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री जोनी कुमार व आरोपी श्री चन्द्रवीरसिह राव एसीबीईओ के मध्य दिनांक 03.11.2025 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप, जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड हैं। कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर कार्यालय के लेपटॉप में जोड़कर उक्त रिकॉर्डिग वार्तालाप को रूबरू दोनों स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के सुन-सुन कर एंव समझकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री शिवप्रताप कानि 541 के सहयोग से कार्यालय लेपटॉप से हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। परिवादी स्वयं एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी श्री जोनी कुमार द्वारा की गई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड उक्त रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से श्री शिवप्रताप कानि 541 से दो मेमोरी कार्ड तैयार करवाये जाकर उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को डब मानते हुए खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल BRINTON 64GB के मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री शिवप्रताप कानि 541 द्वारा हैष वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान एंव संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड BRINTON 64GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर एक कपड़े की थैली में डालकर में डालकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण विवरण अंकित कर सील्ड मौहर कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क एम अंकित किया जाकर उक्त शील्डशुदा पैकेट मय दो डब मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। समय 08.00 पीएम पर स्वतन्त्र गवाह श्री श्री लोकेश कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री हंसराज सहायक अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर को कल दिनांक 06.11.2025 को समय 6.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूकसत किया गया एवं परिवादी श्री जोनी कुमार तथा ब्यूरो जाब्ता को कार्यालय मे ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई तथा अब तक की कार्यवाही से उच्च अफसरान को अवगत कराया जाकर रहबरी हासिल की गई। दिनांक 06.11.2025 को समय 06.40 ए. एम पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री लोकेश कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री हंसराज सहायक अभियन्ता नगर परिषद जैसलमेर उपस्थित कार्यालय आये तथा परिवादी श्री जोनी कुमार एवं ब्यूरो जाप्ता पुर्व से ही कार्यालय मे उपस्थित है। समय 07.00 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान के रूबरू मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो जैसलमेर द्वारा परिवादी जोनीकुमार से आरोपी श्री चन्द्रवीरसिह राव एसीबीओ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 3000/ रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी ने 500-500 रूपये के 06 नोट कुल राशि 3000/ रू. रूबरू गवाहान पेश किये। तत्पश्चात कार्यालय हाजा के मालखाना को श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाई जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114 को रिश्वत राशि 3000 रूपये सुपुर्द कर श्रीमति बन्नुकुमारी हैड कानि 114 द्वारा उक्त सभी नोटों पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री जोनी कुमार की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश पंवार से लिवाई जाकर

परिवादी के पास अपने मोबाईल फोन के अतिरिक्त किसी प्रकार की राशि /वस्तु नही रहने दी गई। ताबाद श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114 से उक्त रिश्वत राशि परिवादी के पहने हुए कमीज के उपरी बायी जेब मे रखवाये जाकर रूबरू गवाहान के परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता को हिदायत मुनासिब दी गई। ताबाद प्लास्टिक की एक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक प्लास्टिक डिस्पोजल चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर रंगहीन घोल में श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114 के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमति बन्नुकुमारी हैड कानि 114 से गिलास के उक्त गुलाबी घोल को ऑफिस से बाहर फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114 से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवाई जाकर मालखाना के ताला लगवाया गया तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में लेने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया। ट्रेप दल के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति बन्नूकुमारी हैड कानि 114 को कार्यालय हाजा में वास्ते निगरानी पीछे छोड़ने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 7.35 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री हंसराज , श्री लोकेश, परिवादी श्री जोनी कुमार, श्री चम्पालाल एएसआई, श्री दीनाराम हैड कानि 03, श्री किसनाराम कानि 238, श्री भंवरलाल कानि 309, श्री कंवराजसिंह 444, श्री शिवप्रताप कानि 541, श्री सम्पलाल कानि 230 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, आरोपी श्री चन्द्रवीरसिंह राव तथा परिवादी श्री जोनी कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.11.2025 के मेमोरी कार्ड के शील्डशुदा पैकेट मार्क एम मय उक्त वार्ता का डब मेमोरी कार्डस खुली हालात में, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड, लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी वाहन आर जे 14 यु जे 1742 मय चालक श्री शेराराम कानि 302 एवं प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय जैसलमेर से गडरा रोड की तरफ रवाना हुए। वक्त 09.55 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा जानसिंह की बैरी पहुच वाहनो को रोड़ के साईड में खडा किया। जिस पर परिवादी ने बताया कि आज सीबीईओ कार्यालय गडरा रोड पर साक्षरता मिशन के वॉलियटियर की करीब 2.00 बजे तक मिटीग चलेगी इसलिए सम्भवतः श्री चन्द्रवीरसिह राव उक्त मीटिग में रहेगे साथ ही परिवादी ने बताया कि मैने स्कुल से आज अवकाश नही लिया है, इसलिए मुझे स्कुल जाकर हस्ताक्षर करने है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि आप अपनी स्कुल जाकर हस्ताक्षर कर वापस इसी जगह आने हेतु निर्देशित कर स्कुल के लिए रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के गोपनीयता को मध्य नजर रखते हुए जानसिंह की बैरी से रवाना होकर सोलकिया गांव के आस पास पहुच गाड़ियों को रोड से नीचे उतार कर छुपाव हासिल किया गया। वक्त 12.18 पीएम पर मन् नरपतचन्द अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर से कॉल आया तथा परिवादी ने बताया कि मैने गोपनीय रूप से श्री चन्द्रवीरसिह राव एसीबीईओ के गडरारोड होने के बारे में मालुमात किया तो ज्ञात हुआ कि वह दिनांक 06.11.2025 से दिनांक 07.11.2025 तक दो दिन आकस्मिक अवकाश पर गये हुए है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देशित किया कि आप गांव जानसिंह की बैरी में अपने किराये के मकान पर उपस्थित मिले मै गांव जानसिह की बैरी आपके निवास पर ही आ रहा हु। वक्त 12.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता के सरकारी एवं निजी वाहनो से गांव सोलकिया से गांव जानसिह की बैरी के लिए रवाना होकर वक्त 01.00 पीएम गांव जानसिंह की बैरी पर परिवादी श्री जोनी कुमार के किराये के मकान पर पहुचा, जहॉ पर परिवादी श्री जोनी कुमार अपने निवास पर उपस्थित मिला तथा परिवादी ने बताया कि श्री चन्द्रवीरसिह राव दो दिन आकस्मिक अवकाश पर है, दिनांक 08.11.2025 से 09.11.2025 तक दो दिन राजपत्रित अवकाश होने से वह कार्यालय नही आयेगे। अब वह दिनांक 10.11.2025 को ही गडरा रोड आयेगे तभी अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा आरोपी के गडरारोड आने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस को सूचित करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री जोनी कुमार के पहने हुए कमीज के उपर की बायी जेब में रखी रिश्वत राशि 3000 रूपये स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज सहायक अभियन्ता से निकलवाये जाकर रिश्वत राशि को एक सफेद कागज में लपेटवाकर स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज सहायक अभियन्ता के पास सुरक्षित करवाई गई। वक्त 01.20 पीएम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान ब्यूरो जाब्ता एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, कार्यालय का कैमरा, आरोपी श्री चन्द्रवीरसिंह राव तथा परिवादी श्री जोनी

कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.11.2025 के मेमोरी कार्ड के शील्डशुदा पैकेट मार्क एम मय उक्त वार्ता का डब मेमोरी कार्डस खुली हालात में, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड, रिश्वत राशि 3000 रूपये लेकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी वाहन आर जे 14 यु जे 1742 मय चालक श्री शेराराम कानि 302 एवं प्राईवेट वाहन के गांव जानसिंह की बैरी से रवाना होकर वक्त 6.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाह श्री हंसराज मय रिश्वत राशि 3000/- रुपये, स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश, ब्यूरो जाब्ता एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड एवं अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, एवं ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, कार्यालय का कैमरा, आरोपी श्री चन्द्रवीरसिंह राव तथा परिवादी श्री जोनी कुमार के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 03.11.2025 के मेमोरी कार्ड के शील्डशुदा पैकेट मार्क एम मय उक्त वार्ता का डब मेमोरी कार्डस् खुली हालात में, पानी का कैम्पर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली, सरकारी वाहन आर जे 14 यु जे 1742 मय चालक श्री शेराराम कानि 302 एवं प्राईवेट वाहन के कार्यालय भ्रनिब्यूरो जैसलमेर पहुंचा। वक्त 6.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री हंसराज के पास एक सफेद कागज मे लपेटकर सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि 3000/- रुपये को सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे ही गवाह श्री हसंराज से ही कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखवाई गई। शेष आर्टिकल्स एवं परिवादी के कार्यवाही की मूल पत्रावली को कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखी जाकर, अलमारी का लॉक लगाकर चाबी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखी गई। वक्त 6.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री हंसराज व श्री लोकेश पंवार को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा अग्रिम आदेश तक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की बिना अनुमति के मुख्यालय नही छोडने की हिदायत की गई। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा फोन करने पर तुरन्त इस कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु दोनो स्वंतत्र गवाहान को निर्देशित किया जाकर रुखसत दी गई। दिनांक 10.11.2025 को वक्त 06.04 पीएम पर परिवादी श्री जोनी कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल कर बताया कि कल दिनांक 11.11.2025 को मेरी ग्राम हरसाणी में मीटिंग है, उक्त मीटिग में श्री चन्द्रवीरसिंह राव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आने की पूर्ण सम्भावना है। मै दिनांक 11.11.2025 को उक्त मीटिंग में रहुगा इसलिए मै दिनांक 11.11.2025 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित नही हो पाउॅगा। दिनांक 11.11.2025 को वक्त 02.01 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी को पुछा गया कि संदिग्ध आरोपी ग्राम हरसाणी में हुई मीटिग में उपस्थित आया था या नही, जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री चन्द्रवीरसिंह राव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरारोड मीटिग में उपस्थित नही हुआ है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित आने हेतु कहा जाने पर परिवादी ने बताया कि मै श्री चन्द्रवीरसिंह राव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरारोड की उनके कार्यालय मे आने की उपस्थिति के बारे में पता कर कल दिनांक 12.11.2025 को आपको बताता हु। दिनांक 12.11.2025 को वक्त 12.52 पीएम पर परिवादी श्री जोनी कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन पर कॉल कर बताया कि श्री चन्द्रवीरसिंह राव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरारोड द्वारा मुझे एक और नोटिस जारी किया है, साथ ही मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि श्री चन्द्रवीरसिंह राव को मुझ पर किसी प्रकार का शक हो गया है, अब श्री चन्द्रवीरसिंह राव मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। वक्त 01.14 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर निर्देशित किया कि आप अभी रवाना होकर आज ही भ्रनिब्यूरो जैसलमेर के कार्यालय पहुचे जिस पर परिवादी ने कार्यालय में उपस्थित होने की सहमति प्रदान की। वक्त 06.33 पीएम तक परिवादी श्री जोनी कुमार के इस कार्यालय में उपस्थित नही होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी को कार्यालय में उपस्थित नही होने के बारे में पुछा गया तो परिवादी श्री जोनी कुमार ने बताया कि मेरे आज कोई आवश्यक कार्य होने से उपस्थित नही हो सका। मै कल दिनांक 13.11.2025 को मेरी स्कुल समय के बाद आपके कार्यलय पर उपस्थित होने का प्रयास करूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत की गई कि आप कल दिनांक 13.11.2025 को वक्त 2-3 पीएम पर हर सूरत में इस कार्यालय में उपस्थित आवे। दिनांक 13.11.2025 को वक्त 04.39 पीएम तक परिवादी श्री जोनी कुमार के इस कार्यालय में उपस्थित नही होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी को अभी तक उपस्थित नही आने के बारे में पुछा गया तो परिवादी श्री जोनी कुमार ने फोन पर ही कहा कि मै आपको दुबारा कॉल करके बताता हु। दिनांक 16.11.2025 को वक्त 04.49 पीएम तक परिवादी श्री जोनी कुमार के इस कार्यालय में उपस्थित नही होने तथा दिनांक 13.11.2025 के बाद किसी प्रकार का कॉल नही आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी को अभी तक कार्यालय उपस्थित नही आने के बारे में पुछा गया एवं कल दिनांक 17.11.2025 को एसीबी कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी श्री जोनी कुमार ने फोन पर ही कहा कि कल सोमवार

को मेरे आवश्यक कार्य होने से मैं उपस्थित नही हो सकता हु, मै मंगलवार अथवा बुघवार को मेरे स्कुल समय के पश्चात एसीबी कार्यालय मे उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को मंगलवार दिनांक 18.11.2025 को कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 18.11.2025 को वक्त 9.31 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल फोन से परिवादी श्री जोनी कुमार के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर परिवादी को आज एसीबी कार्यालय पर उपस्थित होने अथवा नही होने के बारे मे पूछा गया तो परिवादी ने दिनांक 19.11.2025 बुधवार को अपने स्कुल समय के पश्चात एसीबी कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु कहा गया। दिनांक 19.11.2025 को समय 6.30 पी.एम. पर परिवादी श्री जोनीकुमार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री चन्द्रवीरसिह राव एसीबीईओ बहुत ही शातिर प्रवृति का होकर शकी टाईप का व्यक्ति हैं। एसीबीईओ द्वारा मेरे साथ-साथ अन्य चार विधालयो के लगभग सात अन्य अध्यापको को भी स्पष्टीकरण नोटिस सीबीईओ गडरारोड से जारी करवाये गये थें। इसलिये एसीबीईओ को हम सभी 08 अध्यापको पर शक कर रहा हैं कि कही हम उसे ट्रेप ना करवा दें। परिवादी ने यह भी बताया कि मुझे एसीबीईओ को विश्वास मे लेने के लिये करीब 15 दिवस का और समय चाहिये जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 05.12.2025 तक का समय दिया जाकर हिदायत की गई कि आप अब तक की कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता रखते हुए आप अपने स्तर पर संदिग्ध आरोपी को विश्वास मे लेकर तुरन्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करें। दिनांक 24.12.2025 को वक्त 1.45 पी.एम. पर परिवादी श्री जोनी कुमार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि श्री चन्द्रवीरसिह अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरारोड बहुत ही शातिर प्रवृति का व्यक्ति हैं तथा उन्हे मुझ पर किसी प्रकार का शक हो गया हैं, इसलिये अब वह मेरे से 3000/- रुपये रिश्वती राशि प्राप्त नही करेगा अतः मेरे द्वारा पेश राशि 3000 रुपये वापिस दिलाने का श्रम करावें। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये फोन दोनो स्वतंत्र गवाहान को तलब किया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त से आरोपी श्री चन्द्रवीरसिह अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी परिवादी से अब रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा ऐसी स्थिति अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है। अतः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही यही पर बंद करने का निर्णय लिया गया। वक्त 2.10 पी.एम. पर तलबिदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेश पंवार एवं श्री हंसराज कार्यालस मे उपस्थित आये जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को उक्त दोनो को पढकर सुनाया गया। तत्पश्चात आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3000/- रुपये जो पुर्व में दिनांक 06.11.2025 को स्वतंत्र श्री हंसराज से सफेद कागज मे लपेटी हुई अवस्था मे सुरक्षित अलमारी मे रखवाई गई थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त अलमारी का ताला खोला जाकर उक्त रिश्वत राशि श्री हंसराज से अलमारी से बाहर निकलवाई जाकर सफेद कागज से बाहर निकलवा कर उक्त रिश्वत राशि 3000/- रुपये को झटकवाकर नोटो को अच्छी तरह साफ करवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री हंसराज से परिवादी श्री जोनी कुमार को सुपुर्द करवाई जाकर परिवादी से उनके प्रार्थना पत्र पर ही प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। ताबाद वक्त 2.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री लोकेश पंवार, श्री हंसराज एवं परिवादी श्री जोनी कुमार को रुखसत दी गई। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री चन्द्रवीरसिंह राव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरारोड, जिला बाडमेर द्वारा दिनांक 27.10.2025 को परिवादी की स्कूल का औचक निरीक्षण किया जाकर परिवादी की अनुपस्थिति दर्ज कर दिनांक 30.10.2025 को श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा पंचायत समिति गडरा रोड से परिवादी श्री जोनीकुमार को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करवाकर परिवादी श्री जोनी कुमार के स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर पर अपनी अनुशंषा कर स्पष्टीकरण प्रतिउत्तर सीबीईओ को अग्रेषित करने की एवज में दिनांक 03.11.2025 को वक्त रुबरु रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी से आरोपी द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग करना, जिस पर परिवादी द्वारा कुछ कम करने की विनती करने पर 3500 रूपये रिश्वत की मांग करना जिस पर परिवादी द्वारा पुनः आरोपी से और कुछ कम करने का निवेदन करने पर आरोपी द्वारा परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत की मांग करना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः श्री चन्द्रवीरसिंह रॉव अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरारोड, जिला बाडमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दंडनीय अपराध होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन करवाकर अनुसंधान के आदेश प्रदान करने का श्रम करावें। भवदीय (नरपतचन्द) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपतचन्द, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री चन्द्रवीरसिंह राव पुत्र श्री भैरूसिंह राव जाति राव उम्र 58 साल निवासी ग्राम पोस्ट रानीगांव जिला बाड़मेर हाल अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गडरा रोड जिला बाड़मेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 480 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 435-38 दिनांक 05.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/03/2026 12:15:05

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)